न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 24/2024
3. उनवान : बीला देवी पत्नी श्री नन्दलाल जाति जाट निवासी ग्राम जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर।

–मुख्य रेस्पोडेन्ट

2. सुवालाल पुत्र मंगला
3. मन्नी देवी पत्नी गुल्ला (फौत)

3/1. रामकिशन पुत्र गुल्ला
3/2 हरदेव पुत्र गुल्ला
3/3. रामधन पुत्र गुल्ला
3/4. कोयली देवी पुत्री गुल्ला
3/5. दुर्गा देवी पुत्री गुल्ला

4. मोती पुत्र लाला (फौत)

4/1. रामकरण पुत्र मोती (फौत)
4/1/1. सुप्यार देवी पत्नी रामकरण
4/1/2 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण
4/1/3. नीलू चौधरी पुत्री रामकरण
4/1/4. शीला चौधरी पुत्री रामकरण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
4/2. जगदीश पुत्र मोती
4/3. नारायणी देवी पुत्री मोती
4/4. संतोष देवी पुत्री मोती
4/5. कंवरी देवी पुत्री मोती
4/6. नान्छी देवी पुत्री मोती
4/7. कानी देवी पुत्री मोती
4/8. गंगा देवी पुत्री मोती

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 28/03/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी एवं श्री गोपाल लाल बाना अपीलांट की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री सीताराम जाट रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम जोरपुरा जोबनेर, तहसील फुलेरा हाल तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 806/2, 794, 795, 796, 806/1 जिनके हाल खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 6.0570 हैक्टेयर की खातेदारी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029 के कॉलम संख्या 5 में नानू वल्द ईसरा जाट दर्ज रहा। नानू पुत्र ईसरा दिनांक 31/7/1967 को जरिये विक्रय पत्र मेवाराम पुत्र रामू, मोती पुत्र लाला, सुवा पुत्र मंगला, छीतर पुत्र कुम्भा बहिस्सा बराबर–बराबर जरिये नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 15/12/1967 को स्वीकृत होकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ। उसके उपरान्त मेवाराम पुत्र रामू ने सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बैचान कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 25/10/1989 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ तथा छीतर पुत्र कुम्भा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 अपीलान्ट को बैचान किया जिसका नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 16/2/1988 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के वारिसान मौके पर काबिज काश्त रहे, जो दर्ज रिकार्ड रही। इसके उपरान्त उक्त आराजीयात माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम सवंत 2058 से 2062 में दर्ज कर दी गई। भू–प्रबंध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्व खातेदार के नाम अंकित थी। जिस पर अपीलान्ट के पूर्व एवं उनसे खरीद के बाद अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा ने अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 14/07/2004 को माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम तस्दीक कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। उक्त वर्णित आराजीयात कभी भी माफी मन्दिर की खातेदारी में दर्ज नहीं रही। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मन्दिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित अपीलान्ट के पूर्व कृषक/खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 के नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनन जांच पडताल करने के बाद विक्रय पत्र अनुसार दर्ज हुआ, के उपरान्त अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलान्ट पूर्व खातेदार से क्रय व माफी रिज्यूम होने के साथ निर्बाध रूप से खातेदार की हैसियत से काबिज होकर माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 3 में मन्दिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित को माफी रिजमपशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम की प्रावधानो के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी, वो ही भूमियां उनकी खातेदारी में अंकित की गई। परन्तु यहां पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह अपीलान्ट के पूर्व खातेदार व उसके उपरान्त अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 व 4 का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था, जो निरन्तर काबिज काश्त हैं। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

13/12/1991 की पालना में उसमें वर्णित तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। सन् 2004 में अर्थात् संवत 2057 से 2060 में 50 वर्ष से अधिक समय बाद खातेदारी अधिकार बिना सूचना एवं बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 के खातेदारी हक समाप्त कर दिये। अपीलाधीन आदेश विधि के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत पारित है। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती हैं और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नही करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब अपीलान्ट से पूर्वाधिकारी भूमि के काश्तकार थे तो पश्चात्वर्ती इन्द्राज को गलत नहीं माना जा सकता। खुदकाश्त भूमि धारा 2(1) के अनुसार जिस व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में काश्त की जाती हैं "End cultivated personality व खुदकाश्त मानी जावेगी। उक्त आराजी पर अपीलान्ट से पूर्व के खातेदार का नाम काश्तकार के रूप में संवत संवत 2011 से 2029 की खतौनी के कॉलम संख्या 5 में दर्ज है, जो निरन्तर 2058 से 2061 तक रही। नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग होती हैं, जो मात्र राजस्व लगान वसूल करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के हक व अधिकार तय नही होते हैं। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के गरीब काश्तकार व्यक्ति हैं। जिसे उक्त आराजीयात के रिकार्ड बाबत् दिनांक 8/6/2024 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनका नाम के स्थान पर माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी सा.देह का नाम दर्ज देखकर उक्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जानकारी हुयी कि नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 14/7/2004 के द्वारा तहसीलदार ने नाम हटाकर उक्त नाम अंकित कर दिया। जिस पर अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 225 की नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अदालत हाजा में प्रस्तुत की जा रही हैं। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण में मियाद सीमा लागू नही हैं तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दू का प्रश्न नही देखा जाता जहां गैरकानूनी तरीकों से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारो से वंचित कर दिया गया हो। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि जहां पर विधिक बिन्दू निहित हो वहां पर मियाद के तथ्य पर न्यायालय को सहानुभूति रखनी चाहिए। इस बाबत् आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 374, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 238, आर.आर.टी 2005 (1) पेज 225, आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 649, आर.आर. टी. 2011 (2) पेज 1041, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 829, आर.आर.टी. 2006–07 पेज 443 के दृष्टान्तों का अंकन किया गया हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा हाल तहसील जोबनेर जिला जयपुर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 225 आदेश दिनांक 14/07/2004 को अपास्त किया जावें।

अपील के संलग्न अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 225 दि0 14/07/2004, जमाबन्दी संवत 2011–2066, 2074–2078, भूमि एकीकरण सेटलेमेंट पर्चा 2011 से 2029, खसरा गिरदावरी संवत 2011–2034, विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1967 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता सीताराम जाट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अपील के संदर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार जोबनेर ने अपने पत्रांक 3472 दिनांक 09/09/2024 द्वारा अपील जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित है कि तत्कालीन राजस्व ग्राम जोबनेर की सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2011 में क्रम संख्या 706 के खाता

अतिरिक्त, जिला कलक्टर

संख्या 326/2 के खसरा नम्बर 795 रकबा 5.11 बीघा भूमि के कॉलम संख्या 3 पर राव बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नम्बर 13 एवं कॉलम संख्या 4 पर माफी ग्यारसीलाल मजकुर तथा कॉलम संख्या 5 पर नानू वल्द ईशरा कोम जाट सा० देह के नाम दर्ज था। इसी प्रकार क़म संख्या 765 के खाता संख्या 369, 370 के खसरा संख्या 794 रकबा 4.06 बीघा, खसरा नम्बर 796 रकबा 6.06 बीघा वगैरह कुल किता 5 कुल रकबा 14.12 बीघा भूमि में कॉलम संख्या 3 पर राव बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नम्बर 13, कॉलम संख्या 4 पर माफी रामकरण वगैरह मजकुर तथा कॉलम संख्या 5 पर नानू वल्द ईशरा कोम जाट सा० देह दर्ज है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 806 रकबा 8.01 बीघा भूमि कॉलम संख्या 3 राव बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नम्बर 13 एवं कॉलम संख्या 5 नानू वल्द ईशरा कौम जाट सा० देह के नाम दर्ज है। भूमि एकीकरण सम्वत् 2019 में खसरा नम्बर 117 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 806/2 रकबा 0.05 बीघा तथा खसरा नम्बर 118 रकबा 23.19 बीघा साबिक खसरा नम्बर 794 रकबा 4.06 बीघा, खसरा नम्बर 795 रकबा 5.11 बीघा, खसरा नम्बर 796 रकबा 6.06 बीघा, खसरा नम्बर 806/1 रकबा 7.16 बीघा भूमि से बने है। सम्वत् 2019 (भूमि एकीकरण) को जमाबन्दी रिकॉर्ड कटा–फटा होने से कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। ग्राम जोरपुरा जोबनेर के खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.05 बीघा भूमि कॉलम संख्या 4 में मुन्नी देवी पत्नि गुल्लाराम कोम जाट हिस्सा 1/4, मोती पुत्र लाला हिस्सा 1/4, सुवा पुत्र मंगला हिस्सा 1/4, छीतर पुत्र कुम्भा हिस्सा 1/4 कोम जाट सा० देह के नाम दर्ज थी। तदोपरान्त नोट क्रमांक प० 2 (4) राज/4/937 जयपुर दिनांक 13/12/91 एवं तहसील आदेश क्रमांक भू0अ0/92/1036–1106 दिनांक 12/3/92 की पालना में सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम का नोट अंकित हुआ तथा नामान्तरण संख्या 225 दिनांक 14/07/2004 से सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम से स्वीकार हुआ तथा खाता संख्या 69 के खसरा नम्बर 118 रकबा 23.19 बीघा भूमि कॉलम संख्या 4 में मुन्नी देवी पत्नि गुल्लाराम हिस्सा 1/4, मोती पुत्र लाला, सुवा पुत्र मंगला, बीला देवी पत्नि नन्दलाल हिस्सा 3/4 कोम जाट सा० देह के नाम दर्ज थी। तदोपरान्त नोट क्रमांक प० 2 (4) राज/4/937 जयपुर दिनांक 13/12/91 एवं तहसील आदेश क्रमांक भू०अ०/92/1036 1106 दिनांक 12/03/92 की पालना में सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम नोट अंकित हुआ तथा नामान्तरण संख्या 225 दिनांक 14/07/2004 के द्वारा सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री ज्वाला जी के नाम स्वीकार हुआ।

उक्त जवाब के संलग्न जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रति की गई है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहे। दिनांक 08.01.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा ने अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 14/07/2004 को माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त आराजीयात कभी भी माफी मन्दिर की खातेदारी में दर्ज नहीं रही। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मन्दिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित अपीलान्ट के पूर्व कृषक

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

के रूप में दर्ज हुआ तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 के नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनन जांच पडताल करने के बाद विक्रय पत्र अनुसार दर्ज हुआ। कृषक के कॉलम में अंकित को माफी रिज्मपशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम की प्रावधानो के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी, वो ही भूमियां उनकी खातेदारी में अंकित की गई। परन्तु इस प्रकरण में कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह अपीलान्ट के पूर्व खातेदार व उसके उपरान्त अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 व 4 का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था, जो निरन्तर काबिज काश्त हैं। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13/12/1991 की पालना में उसमें वर्णित तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया। सन् 2004 में अर्थात् संवत 2057 से 2060 में 50 वर्ष से अधिक समय बाद खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये। जब अपीलान्ट से पूर्वाधिकारी भूमि के काश्तकार थे तो पश्चात्वर्ती इन्द्राज को गलत नहीं माना जा सकता। नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग होती हैं, जो मात्र राजस्व लगान वसूल करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के हक व अधिकार तय नही होते हैं। अतः अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 225 आदेश दिनांक 14/07/2004 को निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम जोबनेर की सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2011 में क्रम संख्या 706 के खाता संख्या 326/2 के खसरा नम्बर 795 रकबा 5.11 बीघा भूमि के कॉलम संख्या 3 पर राव बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नम्बर 13 एवं कॉलम संख्या 4 पर माफी ग्यारसीलाल मजकुर तथा कॉलम संख्या 5 पर नानू वल्द ईशरा कोम जाट सा० देह के नाम दर्ज था। इसी प्रकार क्रम संख्या 765 के खाता संख्या 369, 370 के खसरा संख्या 794 रकबा 4.06 बीघा, खसरा नम्बर 796 रकबा 6.06 बीघा वगैरह कुल किता 5 कुल रकबा 14.12 बीघा भूमि में कॉलम संख्या 3 पर राव बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नम्बर 13, कॉलम संख्या 4 पर माफी रामकरण वगैरह मजकुर तथा कॉलम संख्या 5 पर नानू वल्द ईशरा कोम जाट सा० देह दर्ज है। ग्राम जोरपुरा जोबनेर के खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.05 बीघा भूमि कॉलम संख्या 4 में मुन्नी देवी पत्नि गुल्लाराम कोम जाट हिस्सा 1/4, मोती पुत्र लाला हिस्सा 1/4, सुवा पुत्र मंगला हिस्सा 1/4, छीतर पुत्र कुम्भा हिस्सा 1/4 कोम जाट सा० देह के नाम दर्ज थी। तदोपरान्त नोट क्रमांक प० 2 (4) राज/4/937 जयपुर दिनांक 13/12/91 एवं तहसील आदेश क्रमांक भू0अ0/92/1036–1106 दिनांक 12/3/92 की पालना में सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम का नोट अंकित हुआ तथा नामान्तरण संख्या 225 दिनांक 14/07/2004 से सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम से स्वीकार हुआ तथा खाता संख्या 69 के खसरा नम्बर 118 रकबा 23.19 बीघा भूमि कॉलम संख्या 4 में मुन्नी देवी पत्नि गुल्लाराम हिस्सा 1/4, मोती पुत्र लाला, सुवा पुत्र मंगला, बीला देवी पत्नि नन्दलाल हिस्सा 3/4 कोम जाट सा० देह के नाम दर्ज थी। तदोपरान्त नोट क्रमांक प० 2 (4) राज/4/937 जयपुर दिनांक 13/12/91 एवं तहसील आदेश क्रमांक भू०अ०/92/1036 1106 दिनांक 12/03/92 की पालना मे सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम नोट अंकित हुआ तथा नामान्तरण संख्या 225 दिनांक 14/07/2004 के द्वारा सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री ज्वाला जी के नाम स्वीकार हुआ। अतः राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण नियमानुसार माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम स्वीकार होने के कारण अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 225 से पूर्व विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों के खातेदारी में दर्ज रही जो निरन्तर रेस्पोडेन्ट के काबिजकाश्त रही। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त खातेदारी में दर्ज भूमि को नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 14.07.2004 द्वारा माफी मंदिर में दर्ज कर दिया गया। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है।

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रेषित जवाब के पैरा संख्या 1 में अंकित है कि "तत्कालीन राजस्व ग्राम जोबनेर की सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2011 में क्रम संख्या 706 के खाता संख्या 326/2 के खसरा नम्बर 795 रकबा 5.11 बीघा भूमि के कॉलम संख्या 3 पर राव बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नम्बर 13 एवं कॉलम संख्या 4 पर माफी ग्यारसीलाल मजकुर तथा कॉलम संख्या 5 पर नानू वल्द ईशरा कोम जाट सा० देह के नाम दर्ज था। इसी प्रकार क्रम संख्या 765 के खाता संख्या 369, 370 के खसरा संख्या 794 रकबा 4.06 बीघा, खसरा नम्बर 796 रकबा 6.06 बीघा वगैरह कुल किता 5 कुल रकबा 14.12 बीघा भूमि में कॉलम संख्या 3 पर राव बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नम्बर 13, कॉलम संख्या 4 पर माफी रामकरण वगैरह मजकुर तथा कॉलम संख्या 5 पर नानू वल्द ईशरा कोम जाट सा० देह दर्ज है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 806 रकबा 8.01 बीघा भूमि कॉलम संख्या 3 राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नम्बर 13 एवं कॉलम संख्या 5 नानू वल्द ईशरा कौम जाट सा० देह के नाम दर्ज है।"

उक्त रिपोर्ट के पैरा सं0 4 में अंकन किया गया है कि "ग्राम जोरपुरा जोबनेर के खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.05 बीघा भूमि कॉलम संख्या 4 में मुन्नी देवी पत्नि गुल्लाराम कोम जाट हिस्सा 1/4 मोती पुत्र लाला हिस्सा 1/4, सुवा पुत्र मंगला हिस्सा 1/4, छीतर पुत्र कुम्भा हिस्सा 1/4 कोम जाट सा० देह के नाम दर्ज थी। तदोपरान्त नोट क्रमांक प० 2 (4) राज/4/937 जयपुर दिनांक 13/12/91 एवं तहसील आदेश क्रमांक भू0अ0/92/1036–1106 दिनांक 12/3/92 की पालना में सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम का नोट अंकित हुआ तथा नामान्तरण संख्या 225 दिनांक 14/07/2004 से सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम से स्वीकार हुआ तथा खाता संख्या 69 के खसरा नम्बर 118 रकबा 23.19 बीघा भूमि कॉलम संख्या 4 में मुन्नी देवी पत्नि गुल्लाराम हिस्सा 1/4, मोती पुत्र लाला, सुवा पुत्र मंगला, बीला देवी पत्नि नन्दलाल हिस्सा 3/4 कोम जाट सा० देह के नाम दर्ज थी। तदोपरान्त नोट क्रमांक प० 2 (4) राज/4/937 जयपुर दिनांक

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

13/12/91 एवं तहसील आदेश क्रमांक भू०अ०/92/1036 1106 दिनांक 12/03/92 की पालना में सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम नोट अंकित हुआ तथा नामान्तरण संख्या 225 दिनांक 14/07/2004 के द्वारा सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री ज्वाला जी के नाम स्वीकार हुआ।"

तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न जमाबंदी संवत 2011–2029 के कॉलम सं0 3 में "रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी संख्या 13" एवं कॉलम संख्या 5 के नाम कृषक में "नानू वल्द ईसरा" अंकित है। भूमि एकीकरण सम्वत् 2019 में खसरा नम्बर 117 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 806/2 रकबा 0.05 बीघा तथा खसरा नम्बर 118 रकबा 23.19 बीघा साबिक खसरा नम्बर 794 रकबा 4.06 बीघा, खसरा नम्बर 795 रकबा 5.11 बीघा, खसरा नम्बर 796 रकबा 6.06 बीघा, खसरा नम्बर 806/1 रकबा 7.16 बीघा भूमि से बने है।

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 225 में माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वालाजी के नाम दिनांक 14/07/2004 को तत्कालीन तहसीलदार (भू–अभिलेख) फुलेरा मु. सांभरलेक द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें अंकित किया गया है "राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13/12/91 की पालनार्थ पुजारी का नाम विलोपित किया गया क्रमांक क. 2(4)राज/90/37 जयपुर जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक राजस्व–5/2003/3231 दि० 20/03/2003 व देवस्थान के आदेश क्रमांक प.12(22)देव/19/दिनांक 06.03.03 की पालना में स्वीकृत करने का नोट अंकित है।

तहसीलदार व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भू–प्रबन्ध जमाबन्दियों संवत 2011 से 2029 में राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिंहजी के नाम (भोक्ता) दर्ज थी तथा काश्तकार नानू वल्द ईसरा कौम जाट थे।

तहसीलदार की रिपोर्ट एवं संलग्नित दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि कभी–भी माफी मन्दिर के नाम दर्ज नहीं रही। तहसीलदार रिपोर्ट में उक्त भूमि "माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी" के नाम कभी अंकित नहीं रही अपितु जमाबन्दी संवत 2011–2029 के अनुसार उक्त भूमि कॉलम संख्या 3 में "राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नम्बर 13" तथा कॉलम संख्या 4 में "माफी ग्यारसी लाल मजकूर" के नाम अंकित थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा हाल तहसील जोबनेर जिला जयपुर के अपीलधीन आदेश द्वारा नामान्तकरण संख्या 225 आदेश दिनांक 14/07/2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद मिसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर